भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 239

सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

बाल श्रम विद्यालयों की स्थापना

239. श्री मलूक नागर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरूआत के बाद से अब तक देश में स्थापित केन्द्रीय बाल श्रम विद्यालयों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त परियोजना के तहत कितनी निधि आबंटित और व्यय की गई और इसके अंतर्गत राज्य/वर्ष-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित की है। वर्ष 1988 में उस योजना के प्रारंभ से जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला परियोजना सोसाइटियों के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कार्य से मुक्त कराया/छुडाया जाता है और उनका नामांकन एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि प्रदान किया जाता है। एनसीएलपी योजना को अब दिनांक 01.04.2021 से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना में समाहित कर दिया गया है। इसके बाद, छुडाए गए बाल श्रमिकों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित एसटीसी के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जाएगा। वर्तमान में, एनसीएलपी योजना के अंतर्गत कोई विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) कार्य नहीं कर रहा है।

दिनांक 31.03.2021 के बाद एनसीएलपी परियोजना के तहत किसी भी नए एसटीसी को मंजूरी नहीं दी गई है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार एनसीएलपी योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से जिन जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई थी, उनकी संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, योजना के आरम्भ से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के तहत लगभग 14.3 लाख बच्चों को काम से मुक्त कराया/ छुड़ाया गया, पुनर्वासित किया गया और मुख्यधारा में लाया गया।

** *****

अनुबंध-I

'बाल श्रम विद्यालयों की स्थापना' के संबंध में श्री मलूक नागर द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जिन जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई थी, उनकी संख्या निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**संस्वीकृत एनसीएलपी जिलों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	5
3.	बिहार	24
4.	छत्तीसगढ	8
5.	गुजरात	9
6.	हरियाणा	3
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3
8.	झारखंड	8
9.	कर्नाटक	17
10.	मध्य प्रदेश	22
11.	महाराष्ट्र	18
12.	नागालैंड	1
13.	ओडिशा	24
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	27
16.	तमिलनाडु	18
17.	तेलंगाना	31
18.	उत्तर प्रदेश	56
19.	उत्तराखंड	13
20.	पश्चिम बंगाल	20
21.	दिल्ली	1
	कुल	**324**

अनुबंध-II

'बाल श्रम विद्यालयों की स्थापना' के संबंध में श्री मलूक नागर द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के तहत जारी राज्य-वार अनुदान:

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	306.29	32.01	116.37
2	असम	49.64	81.10	140.68
3	छत्तीसगढ	0	0	0
4	गुजरात	61.36	12.23	0
5	हरियाणा	116.83	34.79	0
6	जम्मू एवं कश्मीर	32.48	0	12.70
7	झारखंड	177.42	0	60.73
8	कर्नाटक	82.74	7.53	18.14
9	मध्य प्रदेश	363.41	143.29	236.50
10	महाराष्ट्र	931.49	196.53	102.54
11	नागालैंड	0	0	0
12	ओडिशा	115.16	236.66	57.24
13	पंजाब	206.41	317.35	37.53
14	राजस्थान	124.19	16.64	0.64
15	तमिलनाडु	482.00	323.45	184.74
16	तेलंगाना	152.86	71.56	94.65
17	उत्तर प्रदेश	433.83	137.70	99.91
18	उत्तराखंड	0	0	0
19	पश्चिम बंगाल	463.37	203.10	424.26

*****